क्रिकेट

अंडर-22 अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर बना चैंपियन

जबलपुर ने सिवनी को 20 रन से हराकर जीता फाइनल

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर-22 बालक वर्ग एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता (225-26) का फाइनल मुकाबला एमपीसीए स्टेडियम, नीमखेड़ा में खेला गया। रोमांचक मुकाबले में जबलपुर जिले ने सिवनी को 2 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जबलपुर की टीम ने 47.2 ओवर में 241 रन बनाए। शुरुआती झटका लगने के बाद यश यादव और कप्तान अमनप्रीत सिंह (39) ने पारी को संभाला। इसके बाद यश यादव ने शानदार 62 रन बनाए और लिखित के साथ 1 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। सिवनी की ओर से अभिषेक सेन ने 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की, जबकि प्रियांशू डेहलिया और सार्थक जैन ने 2-2 विकेट हासिल किए।

सिवनी 221 रन ही बना सकी

लक्ष्य का पीछा करते हुए सिवनी की टीम ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन 5 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन ही बना सकी। हर्षित (6) और अंकित प्रजापति (52) ने पहले विकेट के लिए 17 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी। श्लोक दुबे (35) और सार्थक जैन (27) ने भी योगदान दिया, लेकिन टीम जीत से दूर रह गई। जबलपुर की ओर से वासू पटेल ने 3 विकेट लिए, जबकि मयंकेश सिंह ने 2 विकेट झटके। अम्बर शर्मा और अमित रजक को 1-1 सफलता मिली।

विजेता टीम को मिली ट्रॉफी

मैच में अंपायर की भूमिका त्रिलोक नायडू और अमित यादव ने निभाई, जबकि स्कोरिंग सचिन साहू द्वारा की गई। विजेता टीम को ट्रॉफी जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ के चेयरमैन मनोज राय, सचिव सुशील रजक, सिवनी जिला क्रिकेट संघ के सचिव शाहिद खान एवं चयनकर्ता गोपाल दत्त जोशी द्वारा प्रदान की गई।

अदालतों में 30 को रहेगा अवकाश, 31 को होगा कार्य

नवभारत, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए 3 मार्च सोमवार को अवकाश दिवस घोषित किया है, वहीं 31 को घोषित अवकाश को कार्य दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह की ओर से जारी किये गये है। दरअसल हाईकोर्ट में महावीर जयंती पर 31 मार्च को अवकाश घोषित था, लेकिन 3 मार्च को महावीर जयंती होने पर उक्त संशोधन करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ की न्यायालयों में अब सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है।

जबलपुर डिफेंस की धमाकेदार जीत

193 रनों से जेपी अकैडमी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

नवभारत, जबलपुर। तीसरे लेदर बॉल पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट 226 में आज खेले गए मुकाबले में जबलपुर डिफेंस ने जेपी क्रिकेट अकैडमी को एकतरफा अंदाज में 193 रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए जबलपुर डिफेंस ने 2 ओवर में 287 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से बृजेश पटेल और प्रखर पांडे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11-11 रन की दमदार पारियां खेलीं। 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेपी क्रिकेट अकैडमी की टीम जबलपुर डिफेंस की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और मात्र 94 रन पर ऑल आउट हो गई। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बृजेश पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

वादन, गायन और कथक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

दो दिवसीय देशपांडे स्मृति समारोह का भव्य आगाज

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर में भंवरताल गार्डन स्थित संस्कृति थियेटर में दो दिवसीय संगीताचार्य पंडित सदाशिव भगवंत देशपांडे स्मृति समारोह का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन का संचालन उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर एवं उपनिदेशक शेखर करहाडकर की उपस्थिति में हुआ। पहले दिन तीन सत्रों में वादन, गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं। वादन सत्र में ताल तरंग समूह (भोपाल) के कलाकार अंशुल प्रताप सिंह (तबला), सत्येंद्र सिंह सोलंकी (संतूर), सौनक बेनर्जी (घटम), विमर्श मालवीय (पखावज) और हनीफ हुसैन (सारंगी) ने जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। गायन सत्र में ग्वालियर की डॉ. पारुल दीक्षित ने राग जोग में विलंबित व द्रुत खयाल, तराना और चैती प्रस्तुत कर सराहना बटोरी। संगत रविंद्र किल्लेदार (हारमोनियम) और पांडुरंग तैलंग (तबला) ने दी।

आज के कार्यक्रम

आज 29 मार्च को शाम 7 बजे से सजल सोनी (सितार-सरोद जुगलबंदी), पं. सुखदेव चतुर्वेदी (ध्रुपद गायन), अद्रिजा बसु (गायन) और नीलांगी कलंत्रे (कथक समूह नृत्य) की प्रस्तुतियां

श्रीकृष्ण के विविध रूपों को छह ऋतुओं में किया सजीव

अंतिम प्रस्तुति में भोपाल की प्रियंका जोशी एवं साथियों ने कथक नृत्यनाटिका 'षड्?ऋतु कृष्णम' के माध्यम से श्रीकृष्ण के विविध रूपों को छह ऋतुओं में सजीव किया। प्रस्तुति में अक्षिमा जोशी, अणिमा पांडे, अनुष्का चंदसौरिया, मनस्वी तोलानी, जागृति यादव, खुशी यादव, शिल्पी सेन और जाह्नवी चंद ने भाग लिया।

बच्चों ने बढ़ाया आगे की शिक्षा की ओर पहला कदम

संत अलॉयसिस विद्यालय में केजी दीक्षांत समारोह

नवभारत, जबलपुर। शनिवार को संत अलॉयसिस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोलीपाथर में केजी विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाला प्रबंधक फादर एम. स्टेलिन, प्राचार्या जेसी अनिल, उपप्राचार्य डेनिश पैट्रिक एवं प्रभारी प्रिया डेविड व मोनिका वर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मनमोहक प्रार्थना नृत्य के बाद राघवेंद्र चंदेल व अद्विका अक्षांश ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि बच्चों ने आकर्षक स्वागत गीत से सभी का मन मोह लिया। प्राचार्या एवं उपप्राचार्य द्वारा यूकेजी ए व बी के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। दर्श सिंह, भूविका अवस्थी व शिवाय तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षकों व अभिभावकों का आभार जताया। अभिभावकों की ओर से मधु एन्थोनी व गौरव शर्मा ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु अथर्व डहरिया, रिद्धिमा रजक, शौर्य सिंह, दर्श सिंह, अनाया गुर्जर एवं अभिसिक्त पटेल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में पीहू आहूजा व पीहू जयसिंघानी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन आरती फ्रैंक, मोनिका वर्मा व प्रिया डेविड के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

केवल योग्य विशेषज्ञ ही दे सकते हैं सही रिपोर्ट

महाकौशल एसोसिएशन की मांग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो पालन

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बिना योग्य विशेषज्ञों के संचालित पैथोलॉजी लैबों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट जबलपुर ने राज्य में इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल टेक्नीशियनों पर भरोसा करने वाले केंद्र मरीजों के जीवन के लिए खतरा हैं। एसोसिएशन ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में लाइसेंसिंग मानक अलग-अलग हैं। कुछ जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन हो रहा है, जबकि अन्य जगह सिर्फ एमबीबीएस डिग्री धारक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। साथ ही, अक्टूबर 224 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में एक योग्य पैथोलॉजिस्ट को केवल 2 लैब तक सीमित करने पर संगठन ने आपत्ति जताई है। इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से दो सप्ताह में लिखित सुझाव मांगे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि पैथोलॉजी सेवाएं केवल स्नातकोत्तर योग्य विशेषज्ञ की उपस्थिति और पर्यवेक्षण में ही संचालित हों। महाकौशल एसोसिएशन ने आम नागरिकों से अधिकृत केंद्रों से ही जांच कराने की अपील की। वर्ष 217 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार, टेक्नीशियन स्वतंत्र रूप से लैब संचालित या रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकारी नहीं है। पत्रवार्ता में डॉ. राजेश महोबिया, डॉ. नीरज सचदेवा, डॉ. नीता भाटिया, डॉ. रितु भनोत वढेरा, डॉ. कुलदीप बजाज, डॉ. दीपाली अडगाँवकर, डॉ. शिशिर चनपुरिया, डॉ. मपरस गुप्ता और जबलपुर के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा उपस्थित रहे।

एपीएन स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन

नवभारत, जबलपुर। ए.पी.एन. सी.बी.एस.ई. सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सदर में ग्रेजुएशन सेरेमनी का प्रारम्भ सरस्वती जी के पूजन के साथ हुआ। यू के.जी के विद्यार्थियों ने अगली कक्षा में प्रवेश किया। अभिभावकों द्वारा संस्था की शिक्षा को सराहा गया।

शाला के अध्यक्ष चमन श्रीवास्तव ने कहा कि, वर्तमान समय प्रतियोगिता का समय है हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएं विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिये लगातार प्रयासरत हैं, और विद्यार्थियों को नई नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे है। जिससे विद्यार्थी उन्नति की ओर अग्रसर हो सके एवं इन विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा हो सके। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रदान किये गये। कार्यक्रम में संस्था सह सचिव मयंक श्रीवास्तव, महाविद्यालय रजिस्ट्रार मानवेन्द्र सिंग, सी.बी.एस.ई. प्रभारी प्राचार्य करण खुराना, स्टेट बोर्ड प्राचार्य अजय वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप कोरी, पुष्पांजलि पाठक, ज्योति मिश्रा, शमीमा खान, रविंदर कौर, पूर्वा यादव, प्रिया माइकल, निवेदिता ममता दीक्षित का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन शिल्पी शुक्ला एवं रिचा राकेश एवं आभार प्रदर्शन आशिमा लाल द्वारा किया गया।

पुस्तक मेले से अभिभावकों को बड़ी राहत : विधायक रोहाणी

रियायती दरों पर किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी; विद्यार्थियों व अभिभावकों की भारी भीड़

नवभारत, जबलपुर। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि पुस्तक मेले का उद्देश्य अभिभावकों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि इस आयोजन से खर्च आधा भी घटता है, तो इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में आयोजित 12 दिवसीय पुस्तक मेले के चौथे दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। अवकाश के चलते मेला दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ और खरीदारी का उत्साह देखने को मिला।

'बुक बैंक' के लिए पुस्तकों का दान

विधायक रोहाणी ने घोषणा की कि वे इस वर्ष भी 'बुक बैंक' के लिए अधिक संख्या में पुस्तकें दान करेंगे, जिससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि मेले में पाठ्य-पुस्तकों, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के साथ 5 फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे परिवार के साथ आने वालों को सुविधा मिल रही है।

रविवार को भी जारी रहेगा मेला

25 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाला यह पुस्तक मेला रविवार को भी दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। विधायक रोहाणी ने माँ सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अधिकारियों- कर्मचारियों को दी आरटीआई के प्रावधानों की जानकारी

आरटीआई पर ई-दक्ष केंद्र में प्रशिक्षण शुरू

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार ई-दक्ष केन्द्र जबलपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम-25 पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार से प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा आर सी व्ही पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के निर्देशानुसार एवं आयोजित किया जा रहा है।

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा डीलिंग क्लर्क शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण ई-दक्ष केंद्र के आरटीआई मास्टर ट्रेनर स्वाति जैन तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक संदीप पाण्डेय द्वारा प्रदान किया गया। इन प्रशिक्षकों द्वारा आरटीआई आवेदन प्रक्रिया, प्रथम एवं द्वितीय अपील की व्यवस्था तथा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, सदर बाजार, जबलपुर (म.प्र.)", जो कि Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीयन क्रमांक 167/1932), द्वारा वर्ष 1999-2000 से निम्नलिखित महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं-

1. ए.पी.एन. महाविद्यालय, सदर कैंट, जबलपुर (म.प्र.)
(बी.कॉम. 1999-2000 से, बी.ए./बी.एससी. 2000-2001 से, बी.एड. 2004-2005 से, डी.एल.एड. 2005-2006 से)
2. ए.पी. नर्मदा विधि (लॉ) महाविद्यालय, सदर कैंट, जबलपुर (म.प्र.)
(एल.एल.बी. 2005-2006 से, बी.ए. एल.एल.बी. 2016-2017 से, एल.एल.एम. 2018-2019 से, बी.कॉम. एल.एल.बी. 2025-2026 से)

उक्त दोनों महाविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्ध हैं। अतः आमजन से अनुरोध है कि उपरोक्त संस्थाओं/महाविद्यालयों को उनके सही नाम से ही जाना जाए। प्रबंधक

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 20/03/2026

तुलसी दास द्रविड़
अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति
सदर बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

संगोष्ठी

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दो दिवसीय कृषि संगोष्ठी का उद्घाटन

बदलते मौसम में सतत कृषि उत्पादन के लिए नई अवधारणाओं की आवश्यकता

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा पी एम ऊषा पोषित परियोजना के तहत दो दिवसीय कृषि संगोष्ठी का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने की। उद्घाटन सत्र में प्रो. वर्मा ने बताया कि बदलते कृषि परिस्थितियों और मौसम में किसानों को सतत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा एवं फसल प्रबंधन की नई अवधारणाओं को अपनाना होगा।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर डॉ. एम. एल. साहू, डॉ. रोहित पांडे, डॉ. अपर्णा शर्मा, डॉ. संस्कला पटेल, डॉ. रीता भंडारी, श्रीमती सुरुचि पांडेय, डॉ. मीनल दूबे, डॉ. अजय मिश्रा सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अपर्णा अवस्थी ने किया और आभार प्रदर्शन श्री अजय तिवारी, सेडमैप प्रभारी ने किया।

विशेषज्ञों ने साझा किए महत्वपूर्ण सुझाव

मुख्य अतिथि डॉ. अनिल दिक्षित, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, रायपुर ने कहा कि बदलते मौसम में फसलों पर कीट और रोगों का प्रभाव बढ़ेगा और पारंपरिक कृषि रसायनों की क्षमता घटेगी, इसलिए नए प्रकार के कृषि रसायनों का विकास आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि प्रो. सुरेंद्र सिंह, प्रभारी कुलसचिव एवं संस्थान निदेशक ने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियाँ छात्रों और किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। संगोष्ठी के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में डॉ. आर. एच. बंचारी, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल, डॉ. अनिल दिक्षित, भारतीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, रायपुर, डॉ. बी. के. चौधरी, खरपतवार निदेशालय, जबलपुर, डॉ. जी. एस. टैगोर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. विवेक सिंह बीसा, संस्थान जबलपुर विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए।

न्यायालय तहसीलदार रांझी जबलपुर
रा.प्र.क्र./ 1626/ अ-6/2025-26

आम इश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमेश कुमार अग्रवाल पिता श्री दीन दयाल अग्रवाल निवासी- 592/944 शंति नगर जबलपुर ने नजूल ब्लाक नं. 107 प्लाट नं. 84/1 रकवा 2945 व.फु./हे. ग्राम गलगला रकवा 2945 व.फु./हे. पर फौती/ विक्रय पत्र / हक त्याग/ वसीयतनामा /दानपत्र/वारसान हक/ दिनांक 28/12/1964 मृत्यु दिनांक को हो जाने के कारण वारसान हक / क्रय उपरांत नाम दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र, खसरा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में आवेदक द्वारा संलग्न नजूल संधारण खसरा / पटवारी /डायवर्सन खसरा अनुसार नजूल ब्लाक नं. 107 प्लाट नं. 84/1 रकवा 2945 व.फु./ हे./ ग्राम गलगला प.ह.नं. खसरा नं. रकवा 2945 व.फु./हे. पर के नाम दर्ज है।

अत: किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 02/04/2026 को इस न्यायालय तहसील रांझी जबलपुर में प्रस्तुत कर सकता है। नियम दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

इश्तहार आज दिनांक 06/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
जारी दिनांक :- 06/03/2026
पेशी दिनांक :- 02/04/2026

सील

तहसीलदार
रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
E-mail : modgmanu@mp.gov.in

क्रमांक/ /खनिज/2026/ अनूपपुर, दिनांक :

द्वितीय सूचना

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम,18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा आवेदन प्राप्त करने के लिए

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक **श्रीमती प्रीति सिंह** पति श्री रामेश सिंह निवासी खांडा, पोस्ट पोंडी तहसील एवं जिला अनूपपुर(म.प्र.) द्वारा खनिज बोल्डर उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2026 को प्रस्तुत किया गया था। इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक- MIN/0049/2026-0/oMRD-ANP-COLL I/793578/2026 दिनांक 06/02/2026 से प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुनः दिनांक 15/04/2026 तक इस क्षेत्र पर यथा स्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हे.)	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम	रिमार्क
अनूपपुर	अनूपपुर	धनगवां	903	3.950	शासकीय भूमि	बोल्डर	नवीन

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रथम सूचना प्राप्त आवेदन को शमिल करते हुए 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

जी-27947/25

बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल